भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4893**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
चाय बागानों पर प्रभाव

4893 श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को भूटान के पसाखा औद्योगिक संपदा से होने वाले प्रदूषण के कारण पश्चिम बंगाल के कालचिनि ब्लॉक के चाय बागानों और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) मंत्रालय द्वारा विशेषकर भारतीय सीमा के निकट औद्योगिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भूटान के साथ समन्वय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा भूटान से औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए कालचिनि में प्रभावित चाय बागानों और अन्य उद्योगों को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(घ) इस मुद्दे पर सितम्बर, 2024 में वाणिज्य सचिव स्तर की आयोजित बैठक के दौरान भूटान के साथ हुई चर्चा के विशिष्ट परिणाम क्या रहे हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय इस मामले का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए भूटानी प्राधिकारियों और भारतीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए किसी और स्थल के दौरे अथवा संयुक्त निरीक्षण की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.): सरकार पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को प्रभावित करने वाले भूटान के पसाखा औद्योगिक संपदा में औद्योगिक क्रियाकलापों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित रिपोर्टों से अवगत है। इस मुद्दे को भूटानी पक्ष के साथ उठाया गया था और अगस्त 2018 में भारतीय चाय बोर्ड और भूटानी पक्ष के व्यापार विभाग के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने स्थल का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने भूटान के पर्यावरण आयोग, भारतीय चाय बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य

पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से पसाखा औद्योगिक क्षेत्र का एक अलग दौरा करने की सिफारिश की थी।

नवंबर 2021 में आयोजित वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक (सीएसएलएम) के दौरान, भारतीय पक्ष ने भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी) से इस दौरें को सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, कोविड महामारी के कारण, यह दौरा नहीं हो सका। भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच सीमा जिला समन्वय बैठकों के दौरान भारतीय पक्ष ने आरजीओबी के साथ इस मामले पर फिर से चर्चा की गई। यह मामला हाल ही में सितंबर 2024 में आयोजित सीएसएलएम में भूटानी पक्ष के साथ उठाया गया है, जिसके दौरान, आरजीओबी ने सूचित किया है कि वह इस संबंध में आगे हितधारकों से संपर्क करेगा।

*****